

**माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ****रिट-सी संख्या 1002205 वर्ष 2015**

मुकेश कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट रायबरेली एवं अन्य

.....विपक्षीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राजेंद्र प्रसाद भारतीय, अशोक

कुमार मिश्रा, भीम

शंकर मिश्रा, सपना

वर्मा

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 5**माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर****अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. हमने याचिकाकर्ता की ओर से श्रीमती सपना वर्मा की ओर से अधिवक्ता सुश्री मानसी सिंह और प्रतिवादियों की ओर से स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि गाटा संख्या 2252, क्षेत्रफल 0.253 हेक्टेयर की भूमि पुन्ना देवी निवासी ग्राम सेमरी, परगना खेरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली के पक्ष में आवंटित की गई थी।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नसबंदी करवाता है, तो वह राज्य द्वारा पट्टा प्राप्त करने का हकदार होता है। यह बताया गया है कि पुन्ना देवी ने नसबंदी करवाई और पट्टा आवंटन के लिए आवेदन किया, और विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के बाद, उन्हें उपरोक्त दर्ज भूमि पर पट्टा आवंटित किया गया।
4. आगे यह निवेदन किया जाता है कि पुन्ना देवी अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित थीं और उनका निधन 20.10.1995 को हो गया था। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद, राजस्व रिपोर्ट के आधार पर पट्टा रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीमती पुन्ना देवी का निधन पट्टा दिए जाने से पहले ही हो गया था और परिणामस्वरूप यह कहा गया कि पट्टा एक मृत व्यक्ति के पक्ष में अवैध रूप से दिया गया था। उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण एवं भूमि अधिकार अधिनियम की धारा 198(4) के तहत पट्टा रद्द

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करने की कार्यवाही रायबरेली के अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) द्वारा की गयी और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुन्ना देवी और एक अन्य के रूप में मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले में पुन्ना देवी को प्रतिवादी संख्या 1 और भूमि प्रबंधन समिति को प्रतिवादी संख्या 2 बनाया गया था। अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) ने 29.03.2003 के आदेश के माध्यम से कार्यवाही समाप्त करते हुए उस रिपोर्ट पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि पुन्ना देवी की मृत्यु उनके पक्ष में पट्टा दिए जाने से पहले ही हो गई थी और तदनुसार उक्त पट्टा रद्द कर दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस स्तर पर यह तर्क दिया है कि दिनांक 29.03.2003 का आदेश स्पष्ट रूप से अवैध और मनमाना था क्योंकि मृतक पुन्ना देवी को प्रतिवादी बनाया गया था और उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि पुन्ना देवी की मृत्यु आवंटन से पहले हो गई थी और परिणामस्वरूप आवंटन रद्द कर दिया गया था।
6. यह कहा गया कि जब राज्य को पता था कि पुन्ना देवी की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्हें पुन्ना देवी को पक्षकार नहीं बनाना चाहिए था और नोटिस तामील करने के बाद पट्टा रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए थी। पुन्ना देवी के पति श्री सुंदर ने जब 29.03.2003 के आदेश के बारे में जाना, तो उन्होंने बहाली के लिए एक आवेदन दायर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें उत्तर प्रदेश जेड.ए. एवं एल.आर. अधिनियम की धारा 198(4) के तहत कार्यवाही में न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया।

7. पुन्ना देवी के पति द्वारा दायर बहाली की अर्जी 28.02.2006 को खारिज कर दी गई थी।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बहाली की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि निर्विवाद रूप से आवेदक को कभी पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उसकी बात सुनी गई। लेकिन राज्य की ओर से मामले की खूबियों पर बहस करते हुए तर्क दिया गया कि यह निर्विवाद है कि महिला आवंटिती की मृत्यु आवंटन से पहले हो गई थी और इसी कारण अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) ने मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश को वापस लेने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं पर विचार करने के बजाय मामले की खूबियों को प्राथमिकता दी और तदनुसार, 28.02.2006 के आदेश द्वारा वापसी की अर्जी खारिज कर दी।

8. उपरोक्त परिस्थितियों में, दिनांक 28.02.2006 के आदेश को अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), लखनऊ के समक्ष चुनौती दी गई थी और जिनके समक्ष दिनांक 20.10.1995 के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति विधिवत प्रस्तुत की गई थी। यह बताया गया कि भूमि का आवंटन वर्ष 1993-94 में किया गया था और पुन्ना देवी की मृत्यु बाद में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

20.10.1995 को हुई थी और यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी मृत्यु उक्त आवंटन से पहले हुई थी।

9. अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक)-II ने पुनरीक्षण को अस्वीकार करते हुए राजस्व रिपोर्ट और साथ ही मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि ग्राम प्रधान का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुन्ना देवी की उक्त आवंटन से पहले मृत्यु हो गई थी और तदनुसार पुनरीक्षण को अस्वीकार कर दिया गया था।
10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से ही राज्य अधिकारियों की मनमानी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम, उत्तर प्रदेश जेड.ए. एवं एल.आर. अधिनियम की धारा 198(4) के तहत पट्टा रद्द करने की कार्यवाही एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध शुरू की गई और उक्त आवंटन रद्द कर दिया गया। बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया जिसमें यह स्वीकार किया गया कि दिनांक 29.03.2003 का पिछला आदेश एकतरफा था जो बिना नोटिस जारी किए या किसी भी पीड़ित पक्ष की सुनवाई किए बिना पारित किया गया था, फिर भी उन्होंने बहाली के आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि राजस्व रिपोर्टों के अनुसार पुन्ना देवी नामक महिला की पट्टा आवंटन से पहले मृत्यु हो गई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक) का आदेश भी आश्चर्यजनक है, जिन्होंने दिनांक 20.10.1995 के मृत्यु प्रमाण पत्र को ध्यान में रखे बिना, दिनांक 20.10.1995 के मृत्यु प्रमाण पत्र पर विचार किए बिना या न्यायिक संज्ञान लिए बिना, फिर से राजस्व रिपोर्ट पर भरोसा करना चुना।
12. यह निवेदन किया जाता है कि जब प्रतिवादियों ने स्वयं दिनांक 20.10.1995 के मृत्यु प्रमाण पत्र का विरोध, चुनौती या विवाद नहीं किया है, तो पुन्ना देवी की मृत्यु की तिथि निश्चित रूप से 20.10.1995 ही मानी जानी चाहिए, जो आवंटन की तिथि के बाद की है, और पट्टा रद्द करने का मूल आधार ही निराधार, अवैध और मनमाना था। इन्हीं कारणों से रिट याचिका को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।
13. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं करते हैं।
14. दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने पर यह पाया गया कि पट्टा रद्द करने की पूरी प्रक्रिया निःसंदेह अवैध और मनमानी थी, क्योंकि इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को कार्यवाही में भाग लेने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इसके अलावा, न्यायालय यह पाता है कि बहाली आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश स्वयं ही घोर अवैध और मनमाना है, क्योंकि जब प्राधिकरण ने यह स्वीकार कर लिया है कि दिनांक 29.03.2003 का आदेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था, तो निश्चित रूप से बहाली आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए था और इसे केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि राजस्व रिपोर्ट याचिकाकर्ता के बयान के विपरीत थी।

15. पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान जब पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई, जिसे वर्तमान रिट याचिका के साथ संलग्न किया गया है, तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पुन्ना देवी की मृत्यु 20.10.1995 को ही हुई थी और यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी मृत्यु आवंटन की तिथि से पहले हुई थी। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया के पहलू में प्रतिवादियों ने अवैध और मनमाने ढंग से कार्य किया है और अभिलेख में मौजूद निर्विवाद सामग्री से यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीमती पुन्ना देवी की मृत्यु पट्टा आवंटन से पहले हुई थी।

16. तदनुसार, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है और याचिकाकर्ता को रायबरेली के राज्य/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर 10,000 रुपये का जुर्माना अदा किया जाना अनिवार्य है। दिनांक 29.03.2003, 28.02.2006 और 16.03.2015 के विवादित आदेश रद्द किए जाते हैं।

17. याचिकाकर्ता को आवंटित भूखंड का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। यदि इस बीच उक्त भूखंड किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है, तो रायबरेली के जिला

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम दो माह की अवधि के भीतर उक्त भूखंड का कब्ज़ा याचिकाकर्ता को तुरंत सौंप दिया जाए।

(न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर)

आदेश दिनांक: - 18 मार्च 2026

ए वर्मा/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।